आईक्यूआरएएम ए.

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 2319) 16 दिसंबर, 2022

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई और पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 427-कई मुकदमों में सजा-अपीलार्थी ने सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने की मांग की-अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया और बिजली उपकरणों की चोरी से संबंधित नौ अलग-अलग प्राथमिकियों के संबंध में मुकदमा चलाया गया-नौ सत्र परीक्षण किए गए और परिणामस्वरूप अभियुक्त को नौ अलग-अलग निर्णयों द्वारा दोषी ठहराया गया-निचली अदालत द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया गया था कि बाद की सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने की अनुमति दी जाए-स्थिति का शुद्ध परिणाम सामने आया कि अपीलार्थी को कुल 18 साल के कारावास की अवधि से गुजरना पड़ा-उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका-उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 427 के संदर्भ में, अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया और बिजली उपकरणों की चोरी से संबंधित नौ अलग-अलग प्राथमिकियों के संबंध में मुकदमा चलाया गया।427 Cr.P.C की दोषसिद्धि की प्रत्येक बाद की अवधि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में किए गए कारावास की समाप्ति पर शुरू होनी चाहिए-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःधारा 427 न्यायालय को यह निर्देश देने के लिए विवेकाधिकार प्रदान करता है कि दोषसिद्धि के बाद की सजा पिछले सजा के साथ-साथ चलेगी-उच्च न्यायालय को न्याय की गंभीर विफलता पर ध्यान देना चाहिए था जो निचली अदालत द्वारा धारा 427 के दायरे में विशेष रूप से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप होती।427(1) – व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक बहुमूल्य और अविभाज्य अधिकार है-उच्च न्यायालय को न्याय की विफलता को सही ठहराते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए था जो उपरोक्त तरीके से होगा, जिससे अपीलार्थी को 18 साल की अवधि के लिए जेल में रहना होगा-सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश दिया गया-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया-बिजली अधिनियम।

जी.

एन. सी. बी. 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन के माध्यम से मोहम्मद ज़ाहिद बनाम राज्य एससी 1183-पर भरोसा किया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 2319।

एच.

2021 की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 460 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के दिनांक 24.03.2022 के निर्णय और आदेश से।

मो. अनस चौधरी, सुश्री शेहला चौधरी, अंसार अहमद चौधरी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सर्वेश सिंह बघेल, दिव्यांशु सहाय, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान मामले के तथ्य एक और उदाहरण प्रदान करते हैं, जो उस पर एक स्पष्ट उदाहरण है, जो इस न्यायालय के लिए प्रत्येक नागरिक को विरासत में मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक औचित्य का संकेत देता है।यदि न्यायालय ऐसा नहीं करता है, तो वर्तमान मामले में सामने आए प्रकृति के न्याय की गंभीर विफलता को जारी रहने दिया जाएगा और एक नागरिक की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिसकी स्वतंत्रता को निरस्त कर दिया गया है।इस न्यायालय का इतिहास इंगित करता है कि यह नागरिकों की शिकायतों से जुड़े छोटे और नियमित मामलों में है कि न्यायशास्त्र और संवैधानिक दोनों शब्दों में क्षण के मुद्दे उभरते हैं। इसलिए नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप संविधान के भाग III में सन्निहित ठोस संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है।न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के तहत न्यायिक शक्तियां सौंपी गई हैं।व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक बहुमूल्य और अपरिहार्य अधिकार है।इस तरह की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय एक स्पष्ट संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व और कार्य करता है; न तो अधिक और न ही कम।3. अपीलार्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य के विद्युत विभाग से संबंधित बिजली उपकरणों की चोरी से संबंधित कथित घटनाओं से संबंधित नौ अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्टों के संबंध में आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

जी. 4. नौ सत्र परीक्षण अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-I, हापुड़ 1 द्वारा आयोजित किए गए थे।प्रत्येक सत्र मुकदमे में अभियुक्तों की संख्या अलग-अलग होती है।अपीलार्थी सभी नौ मुकदमों में निरंतर विशेषता थी।

एच. 1 2020 ए के एसएसटी संख्या 441,442,443,444,445,446,447,448 और 467

आई. क्यू. आर. ए. एम. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

5. अपीलार्थी एक दलील सौदे पर सहमत हो गया।अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, हापुड़ ने 5 नवंबर 2020 को नौ अलग-अलग फैसलों द्वारा आरोपी को दोषी ठहराया।अपीलार्थी को विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त को अलग-अलग अवधि के लिए विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखा गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को नौ मामलों में से प्रत्येक में 1000/- रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि विचाराधीन के रूप में हिरासत की अवधि सजा की अवधि के खिलाफ निर्धारित की जाएगी।जहां बिजली की धारा 136 और भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत अपराध की दोषसिद्धि सुनाई गई थी, वहां ट्रायल जज ने निर्देश दिया कि दोषसिद्धि साथ-साथ चलेगी।

6. अपीलार्थी तीन साल की अवधि के लिए जेल में है।अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की, जो 2021 की बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 460 है।उच्च न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि नौ अलग-अलग और अलग-अलग मामलों में अपीलार्थी की सजाएं एक साथ चलनी चाहिए।अपीलार्थी की शिकायत यह थी कि जेल अधिकारियों ने सजा को लगातार मानना उचित नहीं माना।

7. उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 427 के प्रावधानों को देखते हुए, दोषसिद्धि की प्रत्येक बाद की अवधि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में बिताए जा रहे कारावास की समाप्ति पर शुरू होनी चाहिए।

8. स्थिति का शुद्ध परिणाम, जैसा कि यह सामने आता है, यह है कि अपीलार्थी को बिजली अधिनियम की धारा 136 और संज्ञानात्मक प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए नौ दोषसिद्धि के संबंध में कुल 18 साल के कारावास की अवधि से गुजरना होगा।

9. याचिका सौदा सी. आर. पी. सी. के अध्याय 21-ए के प्रावधानों के संदर्भ में था। धारा 265-जी में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और इस तरह के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील (अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका को छोड़कर) नहीं होगी।

10. धारा 427 में यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास की दोषसिद्धि से गुजर रहा है, उसे बाद में दोषी ठहराए जाने पर दोषसिद्धि दी जाती है -

2 “सीआरपीसी "

एच.

कारावास या आजीवन कारावास, ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास की समाप्ति पर शुरू होगा जिसके लिए उसे पहले सजा सुनाई गई है, जब तक कि अदालत यह निर्देश नहीं देती है कि बाद की सजा ऐसी पिछली सजा के साथ-साथ चलेगी।दूसरे शब्दों में, धारा 427 की उप-धारा (1) न्यायालय को यह निर्देश देने का विवेकाधिकार प्रदान करती है कि दोषसिद्धि के बाद की सजा पिछली सजा के साथ-साथ चलेगी।

11. मोहम्मद ज़ाहिद बनाम राज्य में एन. सी. बी. 3 के माध्यम से, इस अदालत ने व्याख्या की निम्नलिखित शर्तों में पूर्ववर्ती पर विधिवत विचार करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के प्रावधानः

"33. इस प्रकार इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से कानून के जो सिद्धांत सामने आते हैं, वे इस प्रकार हैंः

(i) यदि पहले से ही कारावास की दोषसिद्धि का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को बाद में कारावास की दोषसिद्धि सुनाई जाती है, तो कारावास की ऐसी बाद की अवधि आम तौर पर उस कारावास की समाप्ति पर शुरू होगी जिसके लिए उसे पहले दोषसिद्धि सुनाई गई थी।

((ख) साधारणतया बादक सजा कारावासक पहिल अवधिक समाप्ति पर शुरू होयत जखन तक कि न्यायालय अगिला सजा कैँ पूर्ववर्ती सजा सङ्ग चलबाक निर्देश नहि दैत अछि।

(iii) सामान्य नियम यह है कि जहां अलग-अलग लेन-देन होते हैं, अलग-अलग अपराध संख्या और मामलों का निर्णय अलग-अलग निर्णयों द्वारा किया गया है, वहां धारा 427 Cr.P.C के तहत समवर्ती सजा नहीं दी जा सकती है।

(iv) आई. डी. 1 की धारा 427 (1) के तहत अदालत के पास यह निर्देश जारी करने की शक्ति और विवेकाधिकार है कि बाद के सभी वाक्य पिछली सजा के साथ-साथ चलते हैं, हालांकि अपराध की प्रकृति या किए गए अपराधों और स्थिति के तथ्यों के आधार पर विवेक का विवेकपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए।हालांकि, अदालत द्वारा एक विशिष्ट निर्देश या आदेश होना चाहिए कि बाद की सजा पिछली सजा के साथ-साथ चले।"

जी.

12. वर्तमान मामले में विचारण न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428/धारा 31 के दायरे में एक छूट प्रदान की। कोई विशिष्ट दिशा नहीं थी

एच. 3 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1183 ए

धारा 427 (1) के दायरे में विचारण न्यायालय द्वारा जारी किया गया ताकि बाद की सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने की अनुमति दी जा सके।सभी दोषसिद्धि एक ही दिन हुई।

13. एक बार जब याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करने के उपाय का समर्थन किया, तो उच्च न्यायालय को न्याय की गंभीर विफलता पर ध्यान देना चाहिए था, जो निचली अदालत द्वारा धारा 427 (1) के दायरे में विशेष रूप से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप होगा।जब अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, तो वह निचली अदालत के निर्देश का अर्थ यह समझने में जेल अधिकारियों के आचरण से व्यथित था कि प्रत्येक सजा पिछली सजा और दोषसिद्धि की अवधि के अंत में लगातार चलती है।उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करना चाहिए था और उपरोक्त तरीके से होने वाले न्याय के उल्लंघन को सही ठहराते हुए अपीलार्थी को अनिवार्य रूप से बिजली अधिनियम के तहत अपराधों के लिए नौ सत्रों के परीक्षणों में अपनी दोषसिद्धि और सजा के संबंध में 18 साल की अवधि के लिए जेल में रहना चाहिए था।

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपील की अनुमति देते हैं और 24 मार्च 2022 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज कर देते हैं।हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि इस निर्णय के पूर्व भाग में देखे गए नौ सत्रों के परीक्षणों में अपीलार्थी पर जो दंडादेश लगाए गए हैं, वे समवर्ती रूप से चलेंगे।

15. जेल अधिकारी अब इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान
(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.